

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र० लखनऊ ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक— 4334/नि०शा०/वि०स्वी०/म०आ०अ०ज०जा०/2020-21

दिनांक— 28 अगस्त, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत धनराशि रु० 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 27/2020/833/सत्रह-म-2020-6-9(273)/2016 दिनांक 18 अगस्त, 2020 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत (नीली कान्ति) वर्ष 2019-20 में अवमुक्त केन्द्रांश को वर्ष 2020-21 के लिए पुनर्वैध किये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जनजातियों के लिए 06 जनजात में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रु० 37.44 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रु० 24.96 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रु० 62.40 लाख (रु० बासठ लाख चालीस हजार मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट संलग्न विवरण के अनुसार आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय डी०बी०टी०/ पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

1- भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के कियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/ 16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या 18/2017/1128/सत्रह-म-2017-6-9(333)/ 2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश संख्या 02/2018/2236/सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग-निर्देश/गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरी मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० राज्य बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य ग्राप्त कर ली जाये।

11- भारत सरकार के पत्रांक 12012/27/2009-एफवाई०(डब्ल्यू०यू०) दिनांक 31.12.2018 के प्रस्तर-5 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० प्लेटफार्म का उपयोग तथा प्रस्तर-9 के अनुसार धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण Eat module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81-लेखाशीर्षक-2405-मछलीपालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना (कें०60/र०40/कें०+रा०), 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ सं० (121) पर अंकित है।

भवदीया



(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ ।

पत्रांक- / नि०शा०/ वि०स्वी०/ म०आ०अ०ज०जा०/ 2020-21 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ०प्र० शासन।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3।
- 7- वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ ।

9- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

11- भारत सरकार के पत्रांक 12012/27/2009-एफवाई0(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 के प्रस्तर-5 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा प्रस्तर-9 के अनुसार धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण Eat module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81-लेखाशीर्षक-2405-मछलीपालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-ब्लू रिबोन्स इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना (के060/रा040/के0+रा0), 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ सं0 (121) पर अंकित है।

भवदीया

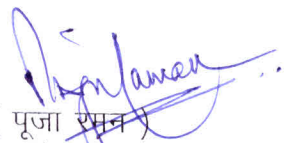
(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

पत्रांक-4334 / नि0शा0 / वि0स्वी0 / म0आ0अ0ज0जा0 / 2020-21 उक्त दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
- 7- वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष: 2020-2021

आवंटन दिनांक- 28/08/2020

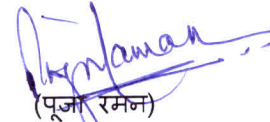
प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MACHUWA AWAS ALLOMENTG 81 ST 27-8-2020
अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
01 -
01 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना
(के.60/रा.40/-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400000 6720000	2400000 6720000
2	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	360000 360000	360000 360000
3	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	360000 360000	360000 360000
4	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400000 2400000	2400000 2400000
5	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	360000 360000	360000 360000
6	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	360000 360000	360000 360000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6240000 10560000	6240000 10560000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बासठ लाख चालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पाँच लाख साठ हजार


(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

900 (नि०शा०)
19/08/2020

संख्या: 27/2020 /833 / सत्रह-म-2020-6-9 (273) /2016

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2020

विषय वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण परियोजना में अनुसूचित जनजाति मद में रु० 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 818 /नि०शा०/ वि०स्वी०/एस०सी०एस०टी०/20-21, दिनांक 15.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति मद में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु कुल रु० 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-12012/27/2009-एफवाई (डब्ल्यू०यू०) दिनांक 06.12.2020 द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 मछुआ आवासों निर्माण एवं 03 प्रतिशत केन्द्रांश के प्रशासनिक व्यय को सम्मिलित करते हुए कुल रु० 74.16 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया था, किन्तु वर्ष 2019-20 में आय-व्ययक में इस मद में बजट व्यवस्था न हो पाने के कारण वर्ष 2019-20 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत नहीं की जा सकी। ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत उक्त निर्गत/अप्रयुक्त केन्द्रांश को भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-जे-18001/1/2017-एफवाई दिनांक 23.04.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत आय-व्ययक में रु० 105.60 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 25 जून, 2020 द्वारा रु० 43.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत मद में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रु० 62.40 लाख की बजट धनराशि उपलब्ध है।

सिद्धि रेखा

19/08/2020

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

3- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध बजट धनराशि की सीमान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रु0 37.44 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रु0 24.96 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रु0 62.40 लाख (रु0 बासठ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्नक-1 की तालिकानुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश/ गाइड लाइन्स, शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017-6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02/2018/ 2236/सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश/ गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर /बैंक में जमा नहीं किया जायेगा ।
- (6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, पत्रसंख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/ 2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(3)

संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/ 2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/ प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

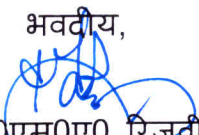
- (9) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (10) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 -लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (के060/रा040/ के0+रा0) 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, पत्र संख्या-4/ 2020/बी-1-192/ दस-2020-231/ 2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/ बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

6-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-610/ ई-1-दस-2020, दिनांक 14 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)

संख्या : २२ /2020 / 833(1)/सत्रह-म- 2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।
- 5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ०प्र० ।
- 6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

संलग्नक-1

(शासनादेश संख्या: 27/2020 /833/सत्रह-म-2020-6-9(273)/ 2016 दिनांक 18 अगस्त, 2020)

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	मछुआ आवासों की संख्या	निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	राज्यांश (40 प्रतिशत)	योग
1	लखीमपुरखीरी	20	14.40	9.60	24.00
2	सोनभद्र	20	14.40	9.60	24.00
3	बलरामपुर	3	2.16	1.44	3.60
4	बहराइच	3	2.16	1.44	3.60
5	श्रावस्ती	3	2.16	1.44	3.60
6	ललितपुर	3	2.16	1.44	3.60
	कुल योग -	52	37.44	24.96	62.40

(रूपया बासठ लाख चालीस हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)

अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।